

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(एस- 389/2013)/अलेसे-11 3164

दिनांक:- 22-4-24

आदेश

श्री संदीप शर्मा, हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड -II, (लिनक नं. 10024) कार्यालय उपकोषाधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द को उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक टीम द्वारा रिश्वत लेने के मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0053 दिनांक 01.04.2024 के आधार पर श्री संदीप शर्मा सहायक लेखाधिकारी-11 को दिनांक 20.03.2024 से 31.3.2024 तक पुलिस हिरासत में लिया गया था।

राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमों के नियम-13 के प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री संदीप शर्मा सहायक लेखाधिकारी-11 को गिरफ्तारी दिनांक 01.04.2024 से 48 घण्टे से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण उनको दिनांक 01.04.2024 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कोषाधिकारी कोटा में रहेगा।

श्री संदीप शर्मा को निलम्बित काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3(एस- 389/2013)/अलेसे-11 3164

दिनांक:- 22-4-24

प्रतिलिपिनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, कोटा।
3. कोषाधिकारी, राजसमन्द।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. उपकोषाधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री संदीप शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय कोषालय कोटा।
9. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/विधि एवं जाँच/मासिक सूचना हेतु।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)